झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
त्रयोदश (मॉनसून) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 20.07.2018 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री रवीन्द्र नाथ महतो एवं श्री स्टीफन मराण्डी स0वि0स0	राज्य के विभिन्न जिलों के प्राथमिक विद्यालयों का विलय करीब 2 K.M. दूर दुसरे प्राथमिक विद्यालयों में कर देने के कारण बच्चों का पठन-पाठन में काफी कठिनाई उत्पन्न हो गई है तथा बहुत से विद्यालयों का दुरी अधिक होने के कारण बच्चे पढ़ने नही जा रहे है। अतः विद्यालयों के विलय को रद्द करते हुए पूर्व की तरह शिक्षण व्यवस्था करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराते हैं।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षारता
02-	श्री बादल स0वि0स0	कृपया विदित् हो की दुमका जिला अंतर्गत जरमुण्डी प्रखंड के नोनीहाट पंचायत एवं रामगढ़ प्रखण्ड के भादवारी पंचायत की आबादी लगभग 15,000 है। साथ ही रेलवे स्टेशन, प्रस्तावित नोनीहाट ओ0पी0 के साथ-साथ संताल परगना प्रमण्डल का प्रमुख व्यवसायिक बाजार भी है जो नगर पंचायत बनाने की सभी अर्हत्ताओं को पूरा करता है।	ग्रामीण विकास

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
		अतः दुमका जिला अंतर्गत जरमुण्डी प्रखण्ड के नोनीहाट पंचायत एवं रामगढ़ प्रखण्ड के भादवारी पंचायत को मिलाकर व्यापक लोकहित में नोनीहाट नगर पंचायत बनाने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
03-	श्रीमती मेनका सरदार, स0वि0स0	राज्य के कोल्हान प्रमंडल में जमीनदार, मानकी-मुण्डा सरदार, घटवाल, पाईक, दीगार, प्रधान, लाया-देवरी डकु आदि देश के स्वतंत्रता आन्दोलन प्रारंभ होने के पहले से सामाजिक राजनीतिक व सांस्कृतिक अगुवा से संबंधित बहुत ही सम्मानित पद के रूप में मान्य रही है। स्वतंत्रता आन्दोलन में इन अगुवों का अप्रतीम योगदान रहा है। आज भी इनके वंशज परम्परा का निर्वहन करते आ रहे है। सरकार द्वारा इनके वंशजों को पेंशन देने की घोषणा के बावजूद अबतक ये इस सुविधा से वंचित है। अतः उधृत स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक अगुवों के वंशजों को पेंशन दिये जाने की ओर आसन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहूँगी।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन
04-	सर्वश्री नागेन्द्र महतो, प्रो0 जयप्रकाश वर्मा एवं श्रीमती गंगोत्री कुजूर स0वि0स0,	झा0लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापकों के नियुक्ति संबंधी विज्ञापन जो दिनांक- 17.07.2018 को निकाली गई है जिसमें साक्षात्कार के जरिये नियोजन की बातें कही गई है। साक्षात्कार का कुल 100 अंक मे से 85 अंक Academic Qualification (शैक्षणीक योग्यता) से अनिवार्य कर दिया गया है। इससे बिहार बोर्ड एवं झारखण्ड बोर्ड से उर्त्तीण यहाँ के आदिवासी-मूल निवासी अभ्यर्थी छँट जायेंगे। CBSE-ICSE एवं अन्य बोर्ड से उर्त्तीण बाह्य उम्मीदवारों सीधे फायदा होगा। अतः Academic Qualification 85 अंक को घटाते हुये राज्य अर्हता प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करते हुए राज्य के आदिवासी-मूलनिवासी अभ्यर्थियों की 100 फीसदी नियुक्ति करने हेतु नियमावली बनाये जाने की ओर आसन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराते है।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
05-	श्री बिरंची नारायण स0वि0स0,	चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के सत्र में सरकार ने राज्य के स्थानीय निवासियों हेतु वर्ष 1985 को Cut-of Date निर्धारित करते हुए Domicile (अधिवास) एवं स्थानीयता को परिभाषित करते हुए राज्य में लागू किया है। अभी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-3198, दिनांक- 18.04.2016 पर राज्य के सभी अंचल अधिकारी, और अंचलाधिकारियों के अनुशंसा पर अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा प्रज्ञा केन्द्रों के माध्यम से केवल "झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र" ही निर्गत किया जा रहा है और इस स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र में कही भी Domicile (अधिवासी) शब्द का प्रयोग नही हो रहा है। अतएव मैं इस दिशा में सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए माँग करता हूँ कि सरकार ने जो राज्य के निवासियों हेतु वर्ष 1985 को Cut-of Date निर्धारित करते हुए Domicile (अधिवास) एवं स्थानीयता को परिभाषित करते हुए राज्य में लागू किया है, उसी Cut-of Date के आलोक में निर्गत हो रहे स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र में Domicile (अधिवास) शब्द को भी सम्मिलित करते हुए राज्य के नागरिकों को स्थानीयता प्रमाण-पत्र के अंतर्गत ही अधिवासी प्रमाण-पत्र भी निर्गत किया जाय, जैसाकि स्थानीयता को परिभाषित करने और Domicile को लागू करने के संदर्भ में सरकार की मंशा थी।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

राँची,
दिनांक- 20 जुलाई, 2018 ई0।

कृ0पृ030

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-43/2018-3361/वि0 स0, राँची, दिनांक- 19/07/18

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-43/2018-3361/वि0 स0, राँची, दिनांक- 19/07/18

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

19/7/18

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

19-07-18